सदस्य राजस्व मण्डल कैम्प

(28)

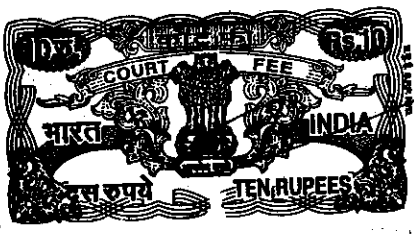

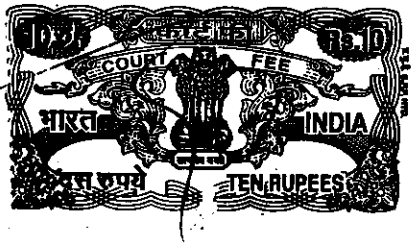

न्यायालय श्रीमान ~~अपर कलेक्टर महोदय~~ रीवा जिला रीवा म0प्र0

R - 20-II/13

प्रस्तुतकर्ता श्री गुरु प्रसाद
तिवारी द्वारा पुस्तुत।
रीवा, दि. 6.12.12
6.12.12

Rs 13.12.12 को
पेशी में लिया गया
5 दिसंबर
13.12.12

रामदास तनय शंकर चर्मकार उम्र 60 वर्ष निवासी सेमरिया (गोड़हा)
तहसील सेमरिया, जिला रीवा म0प्र0-----------------निगरानीकर्ता

बनाम

1- दुकौड़ी तनय मंगल उम्र 45 वर्ष, निवासी सेमरिया
2- छकौड़ी तनय मंगल साकेत उम्र 60 वर्ष, निवासी गोड़हा.
तहसील सेमरिया जिला रीवा म0प्र0
3- रामविश्राम तनय शंभू उम्र 33 वर्ष, निवासी जोधी डाड़ी,
तहसील सेमरिया, जिला रीवा म0प्र0
4- शासन म0प्र0

-----गैर निगरानीकर्तागण

निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांक 20-9-2011
न्यायालय तहसीलदार तहसील सेमरिया
रीवा म0प्र0रा0प्र0क्र0 13/अ-5/2010-11
नक्शा तरमीम आराजी नम्बर 3/12 मौजा
गोड़हा रकवा 0.25ए. मौजा गोड़हा
सेमरिया रीवा म0प्र0

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0

मान्यवर,

संक्षिप्त विवरण :-

यह कि, निगरानीकर्ता आराजी नम्बर 3/8 स्थित मौजा गोड़हा, सेमरिया का भूमिस्वामी स्वत्व व अधिपत्यधारी है जिस पर अपना मकान, कूप आदि निर्माण कर निस्तार कर रहा है। उपरोक्त आराजी पर गैर निगरानीकर्तागण द्वारा गलत तरीके से चोरी छुपे दुरभिसन्धि कर नक्शा तरमीम का आदेश प्राप्त कर निगरानीकर्ता के कब्जे दखल मे हस्तक्षेप करने का प्रयास कर रहे है जिससे यह निगरानी माननीय न्यायालय

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 20–दो/2013 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21–12–2016	उभय पक्ष अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया। 2/ अपर कलेक्टर रीवा ने प्रकरण कमांक 427/अ–5/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 20–5–2011 के द्वारा तहसीलदार सिमरिया को इस निर्देश के साथ प्रकरण मूलतः प्रत्यावर्तित किया गया था कि दोनों पक्षों की सुनवाई करके गुणदोष के आधार पर आदेश पारित करें। अपर कलेक्टर के आदेश के पालन में तहसीलदार सिमरिया ने दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर देकर सहमत होने के आधार पर प्रकरण में दिनांक 20–9–2011 को अंतिम आदेश पारित किया है। आवेदक द्वारा तहसीलदार के इसी आदेश को इस न्यायालय में चुनौती दी गई है। आवेदक अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं था तथा इस न्यायालय में निगरानी के साथ आवेदक द्वारा पक्षकार बनाने के संबंध में पृथक से आवेदन भी प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त आवेदक द्वारा तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध एक वर्ष से अधिक विलंब से निगरानी प्रस्तुत की गई है। तहसीलदार द्वारा किये गये नक्शा तरमीम के आदेश से आवेदक का कब्जा एवं आधिपत्य किस प्रकार प्रभावित हुआ है यह सिद्ध करने में भी असमर्थ रहा है। दर्शित परिस्थितियों यह निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस. एस. अली) सदस्य	